



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001  
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट joda rajasthan gov in Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 166

दिनांक:- 09/11/2023

## —:कार्यवाही विवरण:—

**विषय:-** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 32/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-2 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

**एजेण्डा संख्या 01 :-**

**विषय:-** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-2 की 14/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय:-** समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्व-सम्मति से गत बैठक दिनांक 06.07.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 02 :-**

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.10.2023	जोन-2	घीगांगा	297/192	12.06.06 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अन्नाराम पुत्र श्री तुलसीराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम घीगांगा के खसरा संख्या 297/192 रकबा 12.06.06 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 30 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।</li><li>उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोधपुरा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोधपुरा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li><li>आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित जलीय इकाई के सहारे मास्टर डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी मानचित्र में दर्शायी जावे।</li><li>राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li><li>उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li><li>प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li></ol>				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.10.2023	जोन-2	बासनी बाघेला	141 / 115	3116 वर्गमीटर	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मृगराज सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 141 / 115 रकबा 3116 वर्गमीटर में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें।</li> <li>2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</li> <li>3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.10.2023	जोन-2	कांकाणी	1149 / 1104, 1145 / 1105	15216 वर्गमीटर	नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries
आवेदक	श्री तेजाराम पुत्र श्री कालुराम, श्री भरत राठौड़ पुत्र श्री तेजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 1149 / 1104, 1145 / 1105 रकबा 15216 वर्गमीटर में नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>2. उक्त निर्धारित 24 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>3. प्रार्थी द्वारा यू-2 भू-उपयोग में नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर रौटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> </ol>				



5.	आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
6.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।
7.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।


एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.10.2023	जोन-2	कांकाणी	1147/1107, 1151/1108	14517 वमर्गमीटर	नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries
आवेदक	श्री तेजाराम पुत्र श्री कालुराम, श्री अनिल कुमार, श्री भरत राठौड़ पुत्रान् श्री तेजाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 1147/1107, 1151/1108 रकबा 14517 वमर्गमीटर में नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>उक्त निर्धारित 24 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</li> <li>प्रार्थी द्वारा यू-2 भू-उपयोग में नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</li> <li>आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन पाल्यूटेड Eco Friendly Industries प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।</li> <li>उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
05.10.2023	जोन-2	शिकारपुरा	453/3	04.13.00 बीघा में से 02.00.00 बीघा	सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री राजाराम चौधरी पुत्र श्री दुर्गाराम चौधरी				
विषय:-	राजस्व ग्राम शिकारपुरा के खसरा संख्या 453/3 रकबा 04.13.00 बीघा में से 02.00.00 बीघा में सामान्य वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जावें।</li> <li>2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना एवं प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2022 में लिये गए निर्णय के क्रम में समिति द्वारा यू-2 में वेयर हाउस को अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>3. प्रकरण में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जावें।</li> <li>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।</li> <li>5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।</li> <li>6. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें।</li> <li>7. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरांत अग्रिम कार्यवाही जोन-प्रार्थी स्तर पर की जावें।</li> <li>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</li> <li>9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> </ol>				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/167-172 दिनांक:- 09/11/2023

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
09/11/2023  
उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 32/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।             | अध्यक्ष    |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                         | सदस्य      |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।      | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री राजपाल यादव, उपायुक्त (जोन-2) जो.वि.प्रा. जोधपुर।         | सदस्य      |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।         | सदस्य सचिव |

  
09/11/2023  
उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
एवं सदस्य सचिव